

FORM G

INVITATION FOR "EXPRESSION OF INTEREST "FOR VICTOR BUILDWEL PRIVATE LIMITED OPERATING IN "REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR LEASED PROPERTY" AT NEW DELHI

(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

SL.	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.	CD - Victor Buildwel Private Limited PAN No. - AACCV2844A CIN No. - U70109DL2006PTC151000
2.	Address of the registered office	<u>Registered office:</u> YC Co-Working space, 3 rd Floor, Plot No.94, Dwarka, Sector - 13, opposite metro station, near Radisson Blu Hotel, N.S.I.T. Dwarka, New Delhi - 110078. <u>Address at which the books of account are to be maintained</u> 6th Floor, Plot No. 14A, Sector- 18, Maruti Industrial Complex, Gurugram, Haryana-122015.
3.	URL of website	https://ipvictorbuildwel.com/
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	The corporate debtor has a lease hold land at Plot No. 78 & 79, Pocket -1, Sector Ecotech-1 (L.T. Park), Greater Noida Industrial Development Area, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
5.	Installed capacity of main products/ services	N.A.
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	N.A.
7.	Number of employees/ workmen	As per information made available, there are no employees/workmen.
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	Further details about the Corporate Debtor or any additional information can be obtained from the Resolution Professional through the provided email: ip.victorbuildwel@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	The information can be obtained from the Resolution Professional through email: ip.victorbuildwel@gmail.com

10.	Last date for receipt of expression of interest	17-07-2025
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	27-07-2025
12.	Last date for submission of objections to provisional list	01-08-2025
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	11-08-2025
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	16-08-2025 (subject to receipt of Non-Disclosure Agreement by Eligible PRAs)
15.	Last date for submission of resolution plans	15-09-2025
16.	Process email id to submit Expression of Interest	ip.victorbuildwel@gmail.com
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	The Corporate Debtor is registered with Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise (Udyam Registration Number - UDYAM-DL-10-0067128)

Further, refer Expression of Interest (EOI) Process Document available on the website of the corporate debtor at <https://ipvictorbuildwel.com/> or send an email to ip.victorbuildwel@gmail.com for relevant dates and detailed Expression of Interest.

Date: 2nd July 2025

Place: Kolkata

For Victor Buildwel Private Limited
 Bijay Murmura, Authorised Insolvency Professional
 Sumedha Management Solutions Private Limited
 Resolution Professional of Victor Buildwel Private Limited
 IBBI Regn. No.: IBBI/IPE-0020/IPA-1/2022-23/50023
 AFA: AA1/50023/02/311225/20042 (Valid upto 31-12-2025)
 Corresponding address and registered address with IBBI:
 2B, Geetanjali Apartment, 8B Middleton Street,
 Kolkata - 700071, West Bengal
 Registered e-mail ID with IBBI: info@sumedhamangement.com
 Process specific e-mail address: ip.victorbuildwel@gmail.com

INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
Regd. Office: IIMFA Building, Bomkhali, P.O. Rasulpur
Bhubaneswar - 751 010, Odisha, Tel: +91-674 2611000
Fax: +91-674 2611005
E-mail: mail@imfa.in, Website: www.imfa.in
Corporate ID: L27101OR1961PLC000428

**NOTICE TO THE MEMBERS OF
63RD ANNUAL GENERAL MEETING**

1. Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting of the Company ("63rd AGM") will be convened on **Wednesday, 30th July 2025 at 03.00 PM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Conferencing ("OAC") facility** to transact the business set out in the Notice convening the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circulars Nos. 09/2024 dated 19th September 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/COD/CLD/P/2023/194 dated 23/11/2023 dated 03. 2024 (in continuation with the Circulars issued earlier in this regard) ("SEBI Circulars") without the physical presence of the Members. The members of the Company desirous of attending the AGM shall be the Registered Office of the Company.

2. The Notice of the 63rd AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 ("Annual Report") shall be sent to the members by e-mail on 30th July 2025 ("Annual Report") will be sent only by e-mail to all those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or with their Depository Participant ("Depository Participant") ("DP") and with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Members can join and participate in the AGM through VC / OACM facility and the members who are not registered with the quantum under the Depository Participant ("DP") can also participate in the 63rd AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.imfa.in and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and the website of the Depository Participant.

3. **Members holding shares in physical form** who have not registered their e-mail addresses with the Company / Depository can obtain Notice of the AGM and the Annual Report by sending a request to the Company / Depository Participant through VC / OACM facility including e-voting, by sending scanned copy of the request to the Company / Depository Participant by e-mail to investor@imfa.in. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address.

4. **Scanned scanned copy of the PAN Card;**

5. **Scanned scanned copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address registered with the Company or the Depository Participant;**

6. **Members holding shares in physical form** who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through the Electronic Bank Mandate ("EBM") facility can register the EBM by sending the EBM to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending following document / document in support of the EBM as mentioned in the list below by e-mail to investor@imfa.in:

a. Name and Branch of bank in which dividend to be received and Bank Account Number

b. Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solution ("CBS")

c. 9 digit MICR Code;

d. Self attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the

For Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.
(SMRUTI RANJAN RAY)
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

INDO RAMA SYNTHETICS (INDIA) LIMITED
 Regd. Office: A-31, MIDC Industrial Area, Baddori, Nagpur - 441122, Maharashtra, India
 Tel.: 07104-663000-01; CIN: L17124MH1986PLC166915
 Email: corp@indoarama.com Website: www.indoarama.com

**NOTICE OF THE 39th ANNUAL GENERAL MEETING,
 E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the Thirty-Ninth Annual General Meeting ("39th AGM") of the Members of Indo Rama Synthetics (India) Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 23rd day of July 2025, at 11:30 AM IST, through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and

The Notice set out the Ordinary and Special Business(es) to be transacted during the 39th AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent through e-mail to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Registrar of Companies, Government of India. MCS Share Transfer Agent Limited ("STAT") will be responsible for the dissemination of the e-mail dissemination has been completed on 1st July 2025. Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a website providing the webinars for accessing the Annual Report is being sent to those members whose e-mail IDs are registered with the Company.

The Notice of the 39th AGM and Annual Report are available on the website of the Company at www.indoramda.com, website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com, websites of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com.

In compliance with Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Members are providing their e-mail IDs (casted in the system) for all resolutions to be taken in the 39th AGM using electronic voting system (Remote e-Voting) provided by NSDL. The providing rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the 39th AGM of the members of the Company is being conducted through VC or OA.

The Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, i.e., Wednesday, 16th July 2025, may cast their vote electronically on the business set out in the Notice of the 39th AGM through electronic voting system of NSDL ("Remote e-Voting"). All the Members are hereby informed that:

- i) The business, as set out in the Notice of the 39th AGM, may be transacted through Remote e-Voting or e-Voting system at the AGM;
- ii) The Resolution on the agenda of the 39th AGM, namely, 19th July 2025 at 9:00 AM IST and end on 22nd July 2025 at 5:00 PM IST;
- iii) The Cut-off date for determining the eligibility to vote by Remote e-Voting or e-Voting system of the AGM shall be Wednesday, 19th July 2025;
- iv) Any Member who is not registered with NSDL as a Voting member of the Company after circulation of the Notice of 39th AGM and holding shares as on Cut-off date, i.e., Wednesday, 16th July 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com, however, if a person is already registered with NSDL, then the existing User ID and Password can be used to access the casting the vote;
- v) Members may note that:
 - a) the Remote e-Voting mode shall be disabled by NSDL after 5:00 PM IST on Wednesday, 22nd July 2025. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the vote cannot be changed or deleted;
 - b) the facility for voting electronically will be made available during the AGM;
 - c) the Members who have cast their vote by Remote e-Voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again; and
 - d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register or Beneficial Owners maintained by the Registrar of Companies and the NSDL, only shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM;
- vi) In case of queries relating to Remote e-Voting-Voting, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-2610-4867/7000 and 022-2619-7000 or send a request to evoting@nsdl.com. In case of any queries relating to the AGM, Members may refer to the AGM Circulars. For further contact Ms. Pooja Mishra, Sr. Manager, NSDL, Trade World, W- Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Panel, Mumbai-400013 or write to evoting@nsdl.com.

will) The detailed procedures and instructions for Remote e-Voting and e-Voting during the AGM are given in the Notice of the 39th AGM.

vi) **MS CS Yash Yadav (FCS11892, CP 12070)**, Pracing Company Secretary, a member of the Institute of Company Secretaries of India, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Remote e-Voting process and casting vote through the Voting system during the Meeting in a fair and transparent manner.

(a) The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 17th July 2025 to Wednesday, 23rd July 2025 (both the days inclusive) for the purpose of the AGM.

The results of the vote shall be declared within two working days from the conclusion of the 39th AGM. The declared results along with the Scrutinizer's Report will be placed on the website of the Company at www.indoraminda.com immediately after the results are declared and will simultaneously be forwarded to NSE and BSE. The members of the Company are listed and shall be displayed at the Registered Office of the Company.

The above mentioned information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

By order of the Board
For Indo Rama Synthetics Ltd.
Manish Kumar
Company Secretary & Compliance Officer
(ICSI Membership No.: ACS 17173)

Place: Gurugram
Date: July 1, 2025

आरोपियों ने की फर्जी पुलिस छापेमारी

खुद को पुलिस के जवान बताकर बीमा एजेंट से लूटपाट के आरोप में आठ लोग पकड़े

एजेसी ► नई दिल्ली



खुद को दिल्ली पुलिस के जवान बताकर लक्ष्मी नगर स्थित एक बीमा कार्यालय के मालिक पर हमला करने, उसे धमकाने और जबरन वसूली करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी पुलिस छापेमारी की और बीमा धोखाधड़ी की फर्जी बात कहकर जांच किए जाने के बहाने शिकायतकर्ता से रुपये लूटे तथा कीमती सामान हड़प लिया। इस मामले में पीड़ित के पूर्व कर्मचारी रह चुके हनी कुमार (31) के अलावा कैब चालक सनी शर्मा (28) और अंकित जैन (32) आरोपी हैं। अन्य लोगों में बेकरी

सुपरवाइजर विक्रम सिंह (35), डेटा विश्लेषक राहुल गुप्ता (27), जिम ट्रेनर राहुल यादव (27), अनिल कांत (33) और जीतपाल (42) शामिल हैं। अनिल और जीत प्रांफटी डीलर हैं। पुलिस उपायुक्त (पूर्व)

अभिषेक धानिया ने बताया 26 जून को दिल्ली पुलिस की विशेष टीम के सदस्य बनकर चार लोग लक्ष्मीनगर में बीमा पॉलिसी का कार्य करने वाले सलमान (31) के कार्यालय में घुसे। आरोपियों ने कथित तौर पर उसका मोबाइल

फोन और लैपटॉप छीना और उसे जबरन कार में ले गए। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने बताया कि सलमान पर कथित तौर पर हमला किया गया और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे 70 हजार रुपये एक खाते में स्थानांतरित करने के लिए दबाव बनाया गया तथा 80 हजार रुपये नकद भी वसूल लिए गए। लक्ष्मी नगर थाने में 28 जून को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और टीम ने उसी रात पांच आरोपियों को उस समय पकड़ लिया जब वे अपराध में इस्तेमाल की गई उसी कार में नोएडा लिंक रोड पर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के विभिन्न स्थानों से उनके तीन अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस ने लापता 168 लोगों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलाया

एजेसी ► नई दिल्ली



दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अपने ऑपरेशन मिलाप के तहत 53 बच्चों और 115 वयस्कों सहित 168 लापता लोगों का पता लगाकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने समन्वित अभियान चलाया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक जून से 30 जून तक ऐसे 13 अभियान चलाए गए। इस अभियान में कापसहेड़ा, सागरपुर, पालम गांव, वसंत कुंज दक्षिण, किशनगढ़ और अन्य थानों की टीम शामिल थीं। पुलिस की कई टीम ने इस ऑपरेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, स्थानीय लोगों से पूछताछ की, परिवहन केंद्रों पर बस चालकों,

परिचालकों, विक्रेताओं और स्थानीय मुखबिरों से जानकारी ली। अधिकारी ने बताया कि कापसहेड़ा पुलिस ने लापता हुए पांच बच्चों और 28 वयस्कों को ढूंढ लिया जबकि, सागरपुर पुलिस ने 10 बच्चे और 20 वयस्क तथा पालम गांव पुलिस ने चार बच्चे और 20 वयस्कों को ढूंढ लिया। अधिकारी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार वसंत कुंज दक्षिण ने तीन लड़कियां और 10 वयस्क, किशनगढ़ पुलिस ने आठ बच्चे और तीन वयस्क तथा

बुरारी मौतें: सात साल बाद चूड़ावत परिवार के बारे में अब भी लोगों में है जिज्ञासा

एजेसी ► नई दिल्ली



उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में सात साल पहले एक जुलाई, 2018 को जिस घर में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की रहस्यमय मौत हो गयी थी, उसके आस-पड़ोस में लगता है कि जनजीवन सामान्य हो चला है, कोचिंग सेंटर और दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं। लेकिन कभी सुखियों में रहे इस मकान में अब भी सन्यादा पसरा हुआ है और वहां से गुजरने वाले लोग उसके बारे में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। लगभग दो दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे इल्ली दुकान के कर्मचारी मदन ने कहा कि कभी-कभी विद्यार्थी, विशेषकर पास के शिक्षण संस्थानों की लड़कियां, इमारत की ओर इशारा करती हैं, एक पल के लिए रुकती हैं, आपस में फुसफुसाकर बातें करती हैं, डर जाती हैं और फिर चली जाती हैं।

चूड़ावत परिवार के 11 सदस्यों में से 10 छत में लगे लोहे के जाल से फांसी पर लटके मिले थे, जबकि परिवार की मुखिया 77 वर्षीय नारायण देवी का शव घर के दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ा था। देवी की बेटी प्रतिभा (57) और दो बेटे भवनेश (50) और ललित (45) मृतकों में शामिल थे। भवनेश की पत्नी सविता (48) और उनके तीन बच्चे मेनका (23), नीतू (25) और धीरेन्द्र (15) भी मृत पाए गए। ललित की पत्नी टीना (42) और उनका 15 वर्षीय बेटा दुर्जयंत भी जान गंवाने वालों में शामिल हैं। प्रतिभा की बेटी प्रियंका भी फांसी

ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित छात्रों के लिए डीयू आयोजित करेगा विशेष परीक्षा

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने उन छात्रों के लिए एक विशेष अवसर की घोषणा की है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न स्थिति के कारण नई में अपनी सेमेस्टर परीक्षाएं देने से चूक गए थे। परीक्षा निर्यक्त प्रोफेसर गुरुप्रीत सिंह टुट्टेजा ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रभावित छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जो 13, 14 और 15 मई को अपनी परीक्षाएं देने से चूक गए थे। विश्वविद्यालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी संबंधित छात्रों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के लिए लिंक पर गूगल फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बुधवार 10 जुलाई को रात 11.59 बजे तक है। विश्वविद्यालय ने इस आवेदन के लिए पात्रता के संबंध में स्पष्ट करते हुए बताया कि यह फॉर्म केवल उन छात्रों के लिए है जो परीक्षा तिथियों पर उपस्थित नहीं हो सके। इसने कहा कि फॉर्म भरने वाले छात्रों के लिए ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिससे पता चले कि वे दिल्ली नहीं पहुंच सके थे। परीक्षा निर्यक्त ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि छात्रों को ऐसी परिस्थितियों के लिए अकादमिक रूप से दंडित न किया जाए, जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। साथ ही, प्रक्रिया की परबद्धता बनाए रखने के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय के इस फैसले से उन सभी छात्रों को लाभ मिल सकता है, जिनकी शैक्षणिक प्रगति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न स्थिति के कारण बाधित हुई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी की सजा बरकरार रखी

एजेसी ► नई दिल्ली



दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में अपराध की गंभीरता को रेखांकित करते हुए एक व्यक्ति को दो गयी 10 साल की सजा को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने निचली अदालत के फैसले से सहमति जताई कि 20 वर्षीय युवक और 15 वर्षीय पीड़िता के बीच यौन संबंध सहमति से बने प्रतीत होते हैं, लेकिन मामला बलात्कार की श्रेणी में आया, क्योंकि घटना के समय वह (पीड़िता) नाबालिग थी। निचली अदालत के 2023 के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति महाजन ने व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की जेल की सजा को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 25 जून के फैसले में कहा कि व्यक्ति ने पीड़िता की उम्र

स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी और तब से लापता है। करीब एक महीने बाद उसे हरियाणा के बल्लभगढ़ से आरोपियों के पास से बरामद किया गया। उसने आरोप लगाया कि वह स्कूल गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी व्यक्ति से हुई, जो उसका रिश्तेदार था, और वह उसे कालकाजी मंदिर ले गया तथा आश्वसन दिया कि वे दोहर तक वापस आ जाएंगे। हालांकि, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह घर लौटने में देरी करता रहा और फिर उसे अपने घर ले गया, जहां उसने उसे नशीली दवा मिली कोल्ड ड्रिंक दी, जिससे वह बेहोश हो गई तथा उसने पर खुद को निर्वक्ष पाया। व्यक्ति ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले में अपनी बेगुनाही का दावा किया।

दिल्ली दंगे: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को सुनवाई करेगा। जमानतुल्लू नवीन चावला और व्यायमूर्ति शार्लिन्ड कौर को मंगलवार को सुनवाई करनी थी, लेकिन अभियोजन के समय मांगने पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। आरोपी के वकील ने पहले अदालत को बताया था कि इमाम के भाषणों और व्हाट्सएप चैट में कभी भी अश्लील फैलाने का आह्वान नहीं किया गया। जमानत याचिका में दावा किया गया है कि आरोपी 15 जनवरी, 2020 के बाद से राजधानी में भी नहीं था और उसे पुलिस ने 28 जनवरी, 2020 को एक अलग मामले में बिहार में उसके गुन्हागर से गिरफ्तार किया था। याचिका में दावा किया गया है कि इमाम ने अन्य लोगों के साथ घड़यंत्र रचने के लिये हुई किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया। खालिद, इमाम और कई अन्य लोगों के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर रसायनगढ़ाई होने के लिए कई गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूपीए) और आईपीसी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा बढ़क उठी थी। इमाम को इस मामले में 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

नए कानूनों से 'एफआईआर करेंगे तो क्या होगा' की जगह 'एफआईआर से तुरंत न्याय मिलेगा' का विश्वास बढ़ेगा

तीनों नए आपराधिक कानून न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे : शाह

हरिभूमि न्यूज ► नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून सस्ती, सुलभ और पहुंच योग्य होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और पारदर्शी बनाएंगे। यह बातें मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में अभायोचित 'न्याय प्रणाली में विश्वास का स्वर्णिम वर्ष' कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक

नए युग में प्रवेश करेगा और इससे से लोगों के मन में निश्चित रूप तुरंत न्याय मिलने का विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से 'एफआईआर करेंगे तो क्या होगा' की जगह 'एफआईआर से तुरंत न्याय मिलेगा' का विश्वास बढ़ेगा। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केन्द्रीय गृह सचिव और निदेशक, आसुचना ब्यूरो सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून आने वाले दिनों में भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आमूलचूल रूप से बदल देंगे।

उन्होंने कहा कि पहले हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी को नहीं पता था कि न्याय कब मिलेगा। गृह मंत्री ने कहा कि लगभग 3 साल में इन कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद देशभर में किसी भी एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में नागरिकों को न्याय दिलाने के तीनों महत्वपूर्ण अंगों, पुलिस, प्रॉसीक्यूशन और ज्यूडिशियरी को कई जगह पर समय सीमा से बांधा गया है। शाह ने कहा कि नए कानूनों में 90 दिनों में जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने और चार्ज प्रेम करने और जजमेंट देने का समय भी तय किया गया है।

नए कानून स्वतंत्र भारत के न्यायिक इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन : रेखा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को स्वतंत्र भारत के न्यायिक इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने कानून अकेजों द्वारा बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य जनता को दंडित करना था। लेकिन अब भारत के कानून भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा और भारतीय दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, जहां सजा नहीं बल्कि न्याय प्राथमिक उद्देश्य है। इन नए कानूनों ने आम नागरिक में यह विश्वास पैदा किया है कि न्याय अब तेज, पारदर्शी और सुलभ होगा।

रेलवे स्टेशनों के नाम बदलकर किराया बढ़ाया सुविधाएं नगण्य, गरीबों की बड़ी परेशानी: देवेन्द्र

उत्तर रेलवे	
खुली निविदा सूचना	
भारत के राष्ट्रपति की ओर से बरिश्त मंडल अभियंता/प्रथम, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्य के लिए ई-टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।	
1. कार्य का नाम : 1. सहायक मंडल अभियंता/पानीपत के तहत एसएसई/डब्ल्यू/पानीपत के DUK सेक्शन पर पुल संख्या 98, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 129, 133, 135, 142, 143, 145, 151, 152, 154, 156A और 157 के लिए मौजूदा आर्क/ह्यूम पाइप छोटे पुलों का प्रतिस्थापन RCC बस्सों के आकार 2.00x1.35 मीटर द्वारा धकेलने की पद्धति से।	
2. सहायक मंडल अभियंता/ करनाल के अधीन पथर की चट्टानों की अपूर्ति, ढेर लगाना और विद्यमान।	
3. अनुमानित लागत : 1. रु. 39611945.05/- 2. रु. 4990936.03/-	
3. बरोहर राशि : 1. रु. 348100/- 2. रु. 99800/-	
(यह नेट बैंकिंग या केवल गुप्तता gate way के रूप में होना चाहिए। नोट:- एक.डी.आर या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ई.एम.डी. स्वीकार नहीं की जाएगी। (रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/सीई-1/सीटी/5/1 दिनांक 31.08.2016) के अनुसार आई.आर.ई.पी.एस. पर आमंत्रित निविदा की जाए।	
4. समापन अवधि : 1. 12 महीने 2. 03 महीने	
6. ई-निविदा खोलने और प्रस्तुत करने के लिए दिनांक और समय	25.07.2025 को 15:00 बजे तक प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने का समय दिनांक 25.07.2025 को 15:00 बजे।
7. निविदा की वेबसाइट जहां निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है।	www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
8. सामान प्रकार के कार्य	1. किसी भी पुलों / सीमित कंवाई की उपरिगामी सबसे का निर्माण एयर पुरिफ कस्ट और कवर विधि से।
नोट :- शपथ पत्र संलग्नक-XXIV अनिवार्य रूप के रूप में निविदा हर्तों के साथ संलग्न नए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और सभी संलग्न दस्तावेज निविदाकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित किया जाना चाहिए। पत्र संख्या :- 128-डब्ल्यू/280/निविदा सूचना/25-26/डब्ल्यू- (NIT-21-22) दिनांक :- 30.06.2025 1979/2025	
आहर्कों की सेवा में मुस्कान के साथ	

प्रपत्र नं०	
नई दिल्ली में "स्वयं की अस्था लीज पर ली हुई सम्पत्ति के साथ रिल एस्टेट गुविनिधियां" में प्रचालन कर रही रिजिस्टर बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड हेतु "स्वयं की अभिव्यक्ति" के लिए आमंत्रण [भारतीय विधाना और सोधन अध्याम बोर्ड (कार्पोरेट रजिस्ट्रार हेतु विधायित्पन प्रताप प्रक्रिया) नियमों, 2016 के नियमन 36ए के उप-नियमन (1) के तहत]	
क्र.सं.	सम्बन्धित विवरण
1.	कार्पोरेट कर्नलर के नाम सहित पैम और सीआईएन/एलएसए नं. CD - विक्रेत बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड PAN No. - AACCV2844A CIN No. - U70109DL2006PTC151000
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकृत कार्यालय : आईसी को-वर्कऑफ, लेसरी मॉडल, प्लॉट नं. 94, डाक, सेक्टर-13, मेट्रो स्टेशन के सामने, निक्ट रेडियन ब्लू होटल, पर.एफ.आई.टी. डाक, नई दिल्ली - 110078 पता जहाँ खाने की बढी मेंटन की जानी है 6वां तल, प्लॉट नं. 14ए, सेक्टर-18, मारुति इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम, हरियाणा-122015
3.	वेबसाइट का यूआरएल https://ipictorbulidweil.com/
4.	स्थान जहाँ फिक्सड असेटीस की बटुलता रिश्ता है, का विवरण कार्पोरेट कर्नलर के पास प्लॉट नं. 78 और 79, पॉइन्ट-1, सेक्टर इकोटेक-1 (एल.टी. पार्क), ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल इक्वाइपमेंट पार्क, विला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
5.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं की स्थापित क्षमता एफ.ए.
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मुख्य एफ.ए.
7.	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या इस्लाम करवाई गई जानकारी के अनुसार, कोई कर्मचारी / कामगार नहीं है।
8.	दो वर्ष के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुपस्थिति सहित), क्रेडिटों की सुविधा सहित अधिक विवरण उपलब्ध करवाई गई है-मेल ip.victorbulidweil@gmail.com के माध्यम में प्रत्यक्ष प्रेषण से प्राप्त की जा सकती है।
9.	सिद्धि की सेवा 3X(2)(एच) के तहत प्रत्यक्ष अंतरों के लिए फार्म यूआरएल पर उपलब्ध है।
10.	रूप की अभिव्यक्ति की प्रतिकृति अंतिम तिथि 27-07-2025
11.	प्रचालित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि 01-08-2025
12.	अंतिम सूची के लिए आवेदकों का कवचने हुए अंतिम तिथि 01-08-2025
13.	प्रचालित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची के जारी होने की तिथि 16-08-2025
14.	प्रचालित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजनाओं के लिए आइए और मेमोरेडम, मूलभूत मीडियम जानकारी जारी होने की तिथि के अंतिम 15-08-2025
15.	प्रत्यक्ष सेवाओं की सेवा कवचने हेतु अंतिम तिथि 15-08-2025
16.	रूप की अभिव्यक्ति क्या करने के लिए प्रक्रिया नं. 100 आती
17.	प्रत्यक्ष सेवा के तौर पर कर्पोरेट कर्नलर के पंजीकरण स्तर का विवरण कार्पोरेट कर्नलर उद्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम मंगलवार के पास प्रेषित किया जा सकता है- उद्यम/सीआईएन संख्या - UDYAM/DB-10-0067128)
इसके अतिरिक्त, कार्पोरेट कर्नलर को वेबसाइट पर https://ipictorbulidweil.com/ पर उपलब्ध रूप की अभिव्यक्ति (इंजीन) प्रक्रिया दस्तावेज देखी जा सकती है और धिस्तुत रूप की अभिव्यक्ति के लिए ip.victorbulidweil@gmail.com को एक ई-मेल भेजें।	
हस्ता/- कुने विक्रेत बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड बिजनेस मंगलवार, अधिकृत विधायित्पन प्रेषण सुविधा के तहत प्रेषित करवाई गई है। विक्रेत बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड का प्रस्ताव प्रेषण IBBI Regn. No. : IBBI/PE-02020/PA-1/2022-23/50023 AFA: AA15002302/311225/20042 (Valid upto 31-12-2025) पत्राचार पता और आईबीबीआई के पास पंजीकृत पता : 2बी, गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम, हरियाणा-122015, पंजीकृत स्थान प्रक्रिया विनिर्देश ई-मेल पता : ip.victorbulidweil@gmail.com	
दिनांक : 02 जुलाई 2025	स्थान : कोलकाता

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी

अभियोग संख्या 220 दिनांक 19.06.25 धारा 127 (6) BNS थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी गुमशुदा की पहचान नाम अनौल पुत्र महेश निवासी अलावलपुर थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा उम्र -30 कद - 5 फुट 8 इंच हुलिया- रंग सावला, लम्बताय चेहरा, हस्त पुस्ट कद 5.8 इंच दिनांक 04.06.2025 को अपने साथी सोनू उर्फ ओमप्रकाश निवासी अलावलपुर के साथ धनबाद झारखण्ड चला गया था अनौल पुत्र महेश निवासी अलावलपुर थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा पता न होने बारे में अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसका अभी तक सुराग नहीं चला है, यदि किसी थाना में किसी व्यक्ति को इस बारे सुचना प्राप्त होती तो निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करे सुचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

- प्रबन्धक थाना धारूहेड़ा रेवाड़ी 7056666125
- पुलिस कन्दोल रूम रेवाड़ी 01274-242328, 9306952004
- अनुसंधानकर्ता थाना धारूहेड़ा 9416578198

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी

अभियोग संख्या 115 दिनांक 19.03.25 धारा 127 (6) BNS थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी गुमशुदा की पहचान नाम नीतू पत्नी जयप्रकाश निवासी वार्ड नं. 10 देवनगर धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा उम्र 31 कद - 5 फुट 2 इंच हुलिया- रंग सावला कद 5.2 इंच पहनावा- महरूम सूट सलवार पहने हुए दिनांक 16.03.2025 को नीतू पत्नी जयप्रकाश निवासी वार्ड नं. 10 देवनगर धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा बिना किसी को बताये घर से चले जाने बारे अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसका अभी तक सुराग नहीं चला है, यदि किसी थाना में किसी व्यक्ति को इस बारे सुचना प्राप्त होती तो निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करे सुचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

- प्रबन्धक थाना धारूहेड़ा रेवाड़ी 7056666125
- पुलिस कन्दोल रूम रेवाड़ी 01274-242328, 9306952004
- अनुसंधानकर्ता थाना धारूहेड़ा 9416578198

पीआरडीएच-1084/11/3577/2026/36109/88/7 दि. 01.07.2025